राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुरेश / मनीष कुमार 104/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

08/12/22

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1781 रकबा 0.1763 हैक्टेयर ग्राम मोजा प्रागपुरा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर में स्थित है | आराजी में 2/3 हिस्से का खातेदार वादी तथा 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 है एवं अपने-अपने हिस्सेनुसार मौके पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है | उपरोक्त आराजी में पक्षकारान के मध्य आज दिन तक विधिवत बंटवारा नही हुआ है एवं पक्षकारान उपरोक्त आराजीयात को शामिल में काश्त करते चले आ रहे है | पक्षकारान के मध्य आये दिन लगान संबंधित व कई अन्य प्रकार के विवाद होते रहते है इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण का शामिल में काश्त करना संभव नही रहा है वादी ने अनेको बार प्रतिवादीगण को उपरोक्त आराजी का मौके व रिकार्ड का हिस्सेनुसार तकासमा कराने हेतु कहा परन्तु पहले तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे अब साफ़ इंकार कर दिया है | इसलिए वादी को हक़ हो गया है कि वह जरिये न्यायालय आराजी हाल खसरा नम्बर 1781 रकबा 0.1763 हैक्टेयर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य उनके हिस्सेनुसार मौके व राजस्व रिकॉर्ड में तकासमा करवाया जावे एवं इस हेतु तहसीलदार कोटपुतली को मध्यस्थ नियुक्त किया जाकर उपरोक्त आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि व रास्ते आदि का दृष्टिकोण रखते हुए तकासमा कराया जावे एवं वादी के हिस्से में आयी भूमि का अलग बटा नम्बर डालकर वादी को तन्हा रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं उसी अनुसार वादी को भौतिक रूप से कब्जा दिलवाया जावे, के लिए दावा तकासमा पेश करना आवश्यक हुआ है | प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी में वादी को उसके हिस्सेनुसार काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है तथा बिना तकासमा किये मौके पर नीव खोद निर्माण आदि करने व भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है | वादी ने अनेको बार प्रतिवादीगण को समझाया परन्तु वे अपनी चाल से बाज नही आ रहे है इसलिए वादी को हक़ हो गया है कि वह जरिये न्यायालय प्रतिवादी को पाबंद करावे कि वे वादी को उनके हिस्सेनुसार शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा मौके पर बिना तकासमा किये किसी प्रकार का निर्माण आदि न करे, मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे, इस कारणवश वादी को वाद तकासमा पेश करना आवश्यक हुआ है | वादी ने वाद के अन्य बिन्दुयो के साथ वाद कारण अंकित करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरुद्द प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 1781 रकबा 0.1763 हैक्टेयर ग्राम मोजा प्रागपुरा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सुरेश / मनीष कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी तारीख हुक्म
104/2020	2	

मध्य उनके हिस्सेनुसार मौके व राजस्व रिकॉर्ड में तकासमा करवाया जावे एवं इस हेतु तहसीलदार कोटपुतली को मध्यस्थ नियुक्त किया जाकर उपरोक्त आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी व रास्ते आदि को दृष्टीगत रखते हुए, तकासमा कराया जावे एवं वादी के हिस्से में आयी भूमि का अलग बटा नम्बर डालकर वादी को तन्हा रूप से खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावे एवं उसी अनुसार वादी को भौतिक रूप से कब्जा दिलवाया जावे | प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी को उनके हिस्से अनुसार शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे | तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 30/12/2019 को प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित कर तहसीलदार कोटपुतली को आराजी खसरा नम्बर 1781 रकबा 0.1763 हैक्टेयर ग्राम मोजा प्रागपुरा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर के मौके पर जाकर सहखातेदार/पक्षकारान को सूचित कर, उनकी मौजूदगी में बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बटवारा कर, रकबे का निर्धारण करते हुए, कुरैजात रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये गये | अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की |

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई | अभिभाषक पक्षकारान की बहस सुनी गई | दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब के माध्यम से इस तथ्य इ अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करा दिया था कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1781 रकबा 0.1763 हैक्टेयर सुक्खा के नाम रही है उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी जानकी भी फौत हो गई | स्व. सुक्खा व जानकी के तीन पुत्र फूलचन्द, पांचूराम व नन्छुराम थे एवं पांच पुत्रियां मिश्री देवी, मोरी देवी, ग्यारसी, बसन्ती एवं भगली देवी थी इस प्रकार स्व. सुक्खा की भूमि में समस्त का 1/8, 1/8 हिस्सा रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की और ध्यान न देकर गलत हिस्सेनुसार प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित की है | रेस्पोडेन्ट्स मनीष कुमार एक स्टेंजर परचेजर है जिसका गलत नामान्तकरण संख्या 515 के आधार पर आराजीयात में कोई विधिक हक हिस्सा निहित नही है | अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 30/12/2019 ख़ारिज किये जावे | अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/4/2020	सुरेश / मनीष कुमार 3	

रेस्पोडेन्ट्स ने आराजीयात में हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है | रेस्पोडेन्ट आराजीयात का रिकॉर्डेड सहखातेदार है एवं काबिज काश्त है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार कोटपुतली को आराजीयात खसरा नम्बर 1781 रकबा 0.1763 हैक्टेयर ग्राम मोजा प्रागपुरा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर के मौके पर जाकर सहखातेदार/पक्षकारान को सूचित कर, उनकी मौजूदगी में बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बंटवारा कर रकबे का निर्धारण करते हुए कुरैजात प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है | वाद में अभी कुरैजात आना बाकी है | अपीलार्थी ने मात्र प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की है | अत: अपील अपीलार्थी मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से ख़ारिज की जावे |

अभिभाषक पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया | अपील मीमो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया | अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में यह स्पष्ट करते हुये आये है कि प्रश्नगत आराजी का नामान्तकरण संख्या 515 गलत रूप से खुल जाने से सुक्खा के वारिस ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान शम्भूदयाल पुत्र प्रभुदयाल को कर दिया एवं शम्भूदयाल ने प्रश्नगत आराजी का बैचान वादी/रेस्पो. मनीष कुमार को कर दिया जबकी नामान्तकरण संख्या 515 सम्बन्धित न्यायालय द्वारा निरस्त भी किया जा चुका है जबकी अपीलार्थी द्वारा सन्दर्भित नामान्तकरण संख्या 515 के निरस्तीकरण के आदेश की कोई प्रति इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गयी है | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 का अवलोकन किया | जिसमे बतौर काश्तकार शम्भूदयाल पुत्र प्रभुदयाल हिस्सा 2/3 एवं सुरेश, सुरज्ञानी पिसरान फुल्या, केला पुत्री फुल्या व बुद्दी पत्नी फुल्या हिस्सा 1/3 अंकित है | उक्त राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादी/रेस्पो. ने उक्त रिकार्डेड कृषक शम्भूदयाल से उसके हिस्से में आई आराजीयात का क्रय किया जाना सन्दर्भित राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट होता है जिसका अंकन शम्भूदयाल के स्थान पर वादी/रेस्पो. के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हो चुका है | अत: यदि किसी प्रकार सन्दर्भित बैचान गलत हिस्से का हुआ है तो अपीलार्थीगण को सक्षम न्यायालय में बैचान पत्र को चुनौती दिया जाना था | बैचान पत्र के निरस्त होने के पश्चात ही राजस्व न्यायालय में अपील संधारणीय हो सकती है |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सुरेश / मनीष कुमार

तारीख हुक्म	104/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30/12/2019 यथावत रखे जाते है।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)	निर्णय आज दिनांक 08/12/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	1/c नकल 26 03-1-22
	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	